International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925, Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 02(I), April- June, 2025, pp. 116-121

रीवा जिले में युवा स्वरोजगार योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

नीरज रजक[1*] | मनीष कुमार शुक्ला[2]

[1]शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश।
[2]प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश।

*Corresponding Author: neerajrajak712@gmail.com

सार

प्रस्तुत शोध आलेख ''रीवा जिले में युवा स्वरोजगार योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य इस योजना के कार्यान्वयन, प्रभावशीलता एवं लाभार्थियों पर इसके प्रभाव का समग्र मूल्यांकन करना है। युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना से अनेक युवाओं को स्वरोजगार करने के अवसर प्राप्त हुये हैं, लेकिन अनुसंधान में कुछ प्रमुख समस्याएँ भी सामने आईं, जैसे सूचना की कमी, ऋण स्वीकृति में देरी, प्रशिक्षण की अपर्याप्तता और योजनाओं की निगरानी में ढील। इसके अतिरिक्त, कुछ लाभार्थी योजना का पूर्ण लाभ नहीं उठा सके, जिसका मुख्य कारण मार्गदर्शन का अभाव एवं वित्तीय अनिश्चितता रही है। युवा स्वरोजगार योजना रीवा जिले में युवाओं के लिए एक प्रभावी उपकरण सिद्ध हो सकती है, यदि इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जाए एवं युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं परामर्श की बेहतर सुविधाएँ प्रदान की जाये।

शब्दकोशः *स्वरोजगार, युवा, योजना, रीवा, ऋण सुविधा, प्रशिक्षण, नीति विश्लेषण।*

प्रस्तावना

युवा स्वरोजगार योजना को 1 अप्रैल 2013 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है इस योजना की शुरूआत युवा पंचायत में की गयी थी, इस योजना के अंतर्गत सरकार 25 लाख रू. तक का उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक गारंटी और 5 वर्ष तक 5 प्रतिशत की ऋण सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। जिसे मध्यप्रदेश के सम्पूर्ण जिलों में समेकित रूप में संचालित किया गया है। ताकि जिले के अधिक से अधिक शिक्षित एवं अशिक्षित युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जा सके जिससे जिले की बेरोजगारी में कमी आ सके।

युवा स्वरोजगार योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन रीवा जिले के विशेष संदर्भ में करने हेतु चयन किया गया है। जिले में एक ओर जहां जनसंख्या में भारी वृद्धि होने के कारण सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा संबंधी सुविधाओं के विस्तार होने के फलस्वरूप शिक्षित व्यक्तियों की संख्या तेजी से वृद्धि हो रही है परन्तु इन सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

रोजगार प्रदान करना अथवा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार का नैतिक दायित्व है। इसी तारतम्य में सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्रप्ति के पश्चात् से ही इस दिशा में कई प्रयास किये जाते रहे हैं। सरकार द्वारा बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने एवं स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना, उन्हें स्वरोजगार के

अवसर देना ही सरकार की नीतियां है। योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवकों को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराना रहा है।

इस योजना से स्वयं के रोजगार चाहने वाले युवाओं को जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो उन्हें प्रतिवर्ष वित्तीय संस्थाओं, बैंकों व शासन द्वारा अनुदान से रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। मध्यप्रदेश का रीवा जिला औद्योगिक क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ने वाला एक प्रमुख जिला है। यह योजना शिक्षित एवं अशक्षित वर्ग के बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराये जाने हेतु क्रियान्वित की गयी है। मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना की तरह ही अन्य योजनायें तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, साझा चूल्हा पोषण आहार, कौशल, उन्नयन, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार, समर्थ, स्टॉप वेंड और दीनदयाल योजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है।

यह स्वरोजगार करने के इच्छुक युवाओं के लिए रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है, बल्कि सामाजिक एवं आत्मसम्मान की दृष्टि से भी उन्हें सशक्त बनाता है। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के लिए सीमित औपचारिक रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्य सरकार द्वारा युवा स्वरोजगार योजना को लागू किया गया है। रीवा जिले के युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस शोध का उद्देश्य रीवा जिले में युवा स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया, इसकी उपलब्धियां, चुनौतियां और योजना के प्रभावों का विश्लेषण करना है। इसके माध्यम से योजना के बेहतर संचालन और युवाओं के समग्र विकास के लिए प्रभावी सुझाव प्रस्तुत करना भी आवश्यक है।

शोध का उद्देश्य

किसी भी शोध अध्ययन को प्रारम्भ करने से पूर्व उससे संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण कर लेना अत्यंत आवश्यक होता है और उद्देश्यों का निर्धारण कर लेने से शोधकर्ता अध्ययन के मार्ग से भटकने से बच जाता है। इसके लिए मध्यप्रदेश के रीवा जिले में प्रारम्भ युवा स्वरोजगार योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर यह अनुमानित किया जायेगा है कि किस सीमा तक स्वरोजगार के लिए युवाओं को ऋण प्रदान कराने की दृष्टि से यह योजना प्रारम्भ की गयी है, इस कार्य के लिए जिले के किन–किन बैंकों को प्राथमिकता दी गयी है। इन सभी तथ्यों का मूल्यांकन करने के लिए शोधार्थी ने रीवा जिले में संचालित मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं–

- रीवा जिले में मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना की कार्यप्रणाली का आकलन करना।
- अध्ययन क्षेत्र में मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- शोध में युवा स्वरोजगार योनजा के क्रियान्वयन से जिले के युवाओं की मनोदशा का आकलन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को केन्द्र में रखकर प्रस्तावित शोध कार्य को यथार्थ मानकों के अनुरूप पूर्ण किये जाने का अकादमिक प्रयास किये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि रीवा जिले में मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना की गतिविधियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सके।

शोध विधितंत्र

शोध का आशय ज्ञान की खोज करना होता है, जिस ज्ञान की खोज सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके मौलिक तथ्यों के आधार पर की जाती है, तो उसे शोध का सर्वेक्षण कहते हैं। सांख्यिकीय खोज या सर्वेक्षण एक व्यापक परीक्षण है। जिसे प्रारम्भ से लेकर अन्तिम रिपोर्ट तैयार करने तक अनेक चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे शोध अध्ययन के विषय को ध्यान में रखकर सर्वेक्षण का आयोजन करना और प्राथमिक व द्वितीयक समंकों के माध्यम से अध्ययन करना, उपरोक्त शोध अध्ययन में दोनों प्रकार के समंकों का प्रयोग किया गया है।

शोध अध्ययन से संबंधित प्राथमिक समंकों को प्राप्त करने के लिए युवा स्वरोजगार योजना से प्रदत्त ऋण में कुछ शासकीय बैंकों का ही आकलन करना सम्भव है, जिन्हें दैव निदर्शन प्रविधि से चयन किया जायेगा। अतः शोध अध्ययन के लिए जिले से कुल 400 हितग्राहियों से दैव निदर्शन विधि के माध्यम से चयन कर सर्वेक्षणात्मक कार्य प्रश्नावली द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। समंकों के संकलन के दौरान अवलोकन का भी प्रयोग किया जायेगा।

विश्लेषण

इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में युवा स्वरोजगार योजना का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करने के लिये कुल 400 हितग्राहियों का चयन कर सर्वेक्षण का कार्य किया गया है और सर्वेक्षण के दौरान प्रश्नावली का उपयोग कर प्राथमिक समंकों का संकलन किया गया है, जिन्हें आम जन–मानस हेतु सरल व बोधगम्य बनाने हेतु वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है, जो इस प्रकार है–

सारणी 1: रीवा जिले में युवा स्वरोजगार योजना की कार्यप्रणाली का विवरण

क्रमांक	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	योजना की कार्यप्रणाली युवाओं को स्वरोजगार की दृष्टि से सन्तोषजनक है	305	76.25
2.	योजना की कार्यप्रणाली युवाओं को स्वरोजगार की दृष्टि से असन्तोषजनक है	55	13.75
3.	कुछ कह नहीं सकते	40	10.00
	कुल योग	400	100.00

स्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

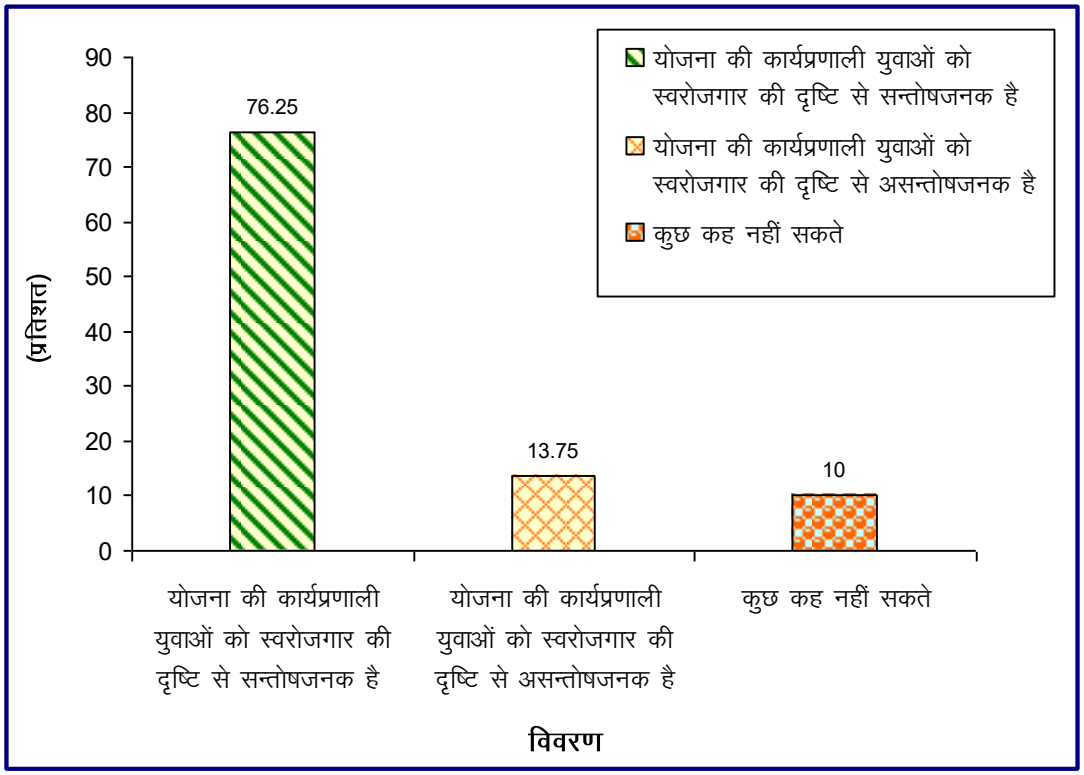

आरेख 1: रीवा जिले में युवा स्वरोजगार योजना की कार्यप्रणाली का विवरण।

उपरोक्त सारणी क्रमांक 01 एवं आरेख से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में युवा स्वरोजगार योजना की कार्यप्रणाली युवाओं को स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराने की दृष्टि से सन्तोषजनक है जिसे सर्वेक्षित युवाओं में से 305 लोगों ने माना है जिनका प्रतिशत 76.25 है, जबकि वहीं सर्वेक्षित 55 उत्तरदाताओं ने बतलाया कि इस योजना की कार्यप्रणाली असन्तोषजनक है जिनका प्रतिशत 13.75 और शेष 40 उत्तरदाताओं ने बतलाया है कि कुछ कह नहीं सकते जिनका प्रतिशत 10.00 है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रीवा जिले के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में युवा स्वरोजगार योजना की कार्यप्रणाली अनुकूल होने के कारण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं जिससे जिले की बेरोजगारी की दर में कमी आयी है और इससे जिले की अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है।

सारणी 2: युवा स्वरोजगार योजना से युवाओं की मनोदशा का विवरण

क्रमांक	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	बेरोजगार युवाओं की मनोदशा अच्छी हुयी है	288	72.00
2.	बेरोजगार युवाओं की मनोदशा अच्छी नहीं हुयी है	79	19.75
3.	कुछ कह नहीं सकते	33	8.25
	कुल योग	400	100.00

स्रोत– व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

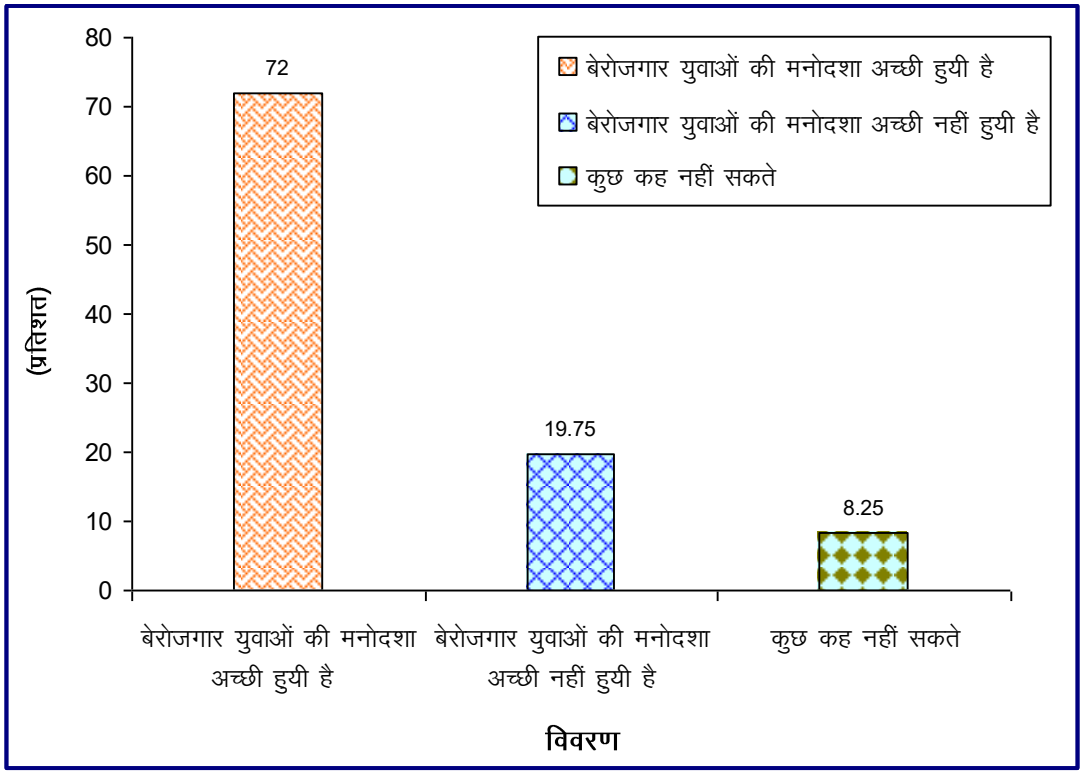

आरेख 2: युवा स्वरोजगार योजना से युवाओं की मनोदशा का विवरण।

उपरोक्त सारणी क्रमांक 02 एवं आरेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में युवा स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन होने से बेरोजगार युवाओं की मनोदशा अच्छी हुयी है, जिसे सर्वेक्षित हितग्राहियों में से 288 लोगों ने स्वीकारा है जिनका प्रतिशत 72.00 है। इसी प्रकार सर्वेक्षित हितग्राहियों में से 79 लोगों का मानना है कि इस योजना से युवाओं की मनोदशा अच्छी नहीं हुयी है जिनका प्रतिशत 19.25 और

सर्वेक्षित समग्र युवाओं में से 33 लोगों ने बतलाया है कि इस संबंध में कुछ कह नहीं सकते हैं जिनका प्रतिशत 8.25 है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में युवा स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन होने से बेरोजगार युवाओं की मनोदशा पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उनहें इस योजना के क्रियान्वयन होने से स्वरोजगार करने हेतु अवसर सुलभ हुए हैं और वे इसका सही उपयोग कर स्वरोजगार करने में सफल हो रहे हैं और आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं तथा अपने व्यवसाय से अन्य दूसरे बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं।

शोध समस्याएं एवं सुझाव

युवा स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन में कई प्रकार की समस्याएँ सामने आई हैं, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव योजना की सफलता पर पड़ा है। प्रमुख समस्याओं में लाभार्थियों को योजना की संपूर्ण जानकारी न होना, आवेदन प्रक्रिया की जटिलता, ऋण स्वीकृति में अनावश्यक देरी, बैंक अधिकारियों द्वारा असहयोग तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में कमी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, योजनाओं का प्रचार–प्रसार सीमित स्तर पर ही होता है, जिससे वास्तविक जरूरतमंद युवाओं तक योजना की जानकारी पहुँच ही नहीं पाती। कुछ मामलों में युवाओं को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं बाजार से जोड़ने की व्यवस्था भी अपर्याप्त रही है, जिससे वे अपने व्यवसाय को लंबे समय तक टिकाऊ नहीं बना सके।

इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

- ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में योजना की जानकारी का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।
- बैंक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जाए तथा ऋण स्वीकृति में समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और व्यावहारिकता को बढ़ाया जाए, ताकि लाभार्थी योजना के अनुरूप व्यवसाय का संचालन सक्षम रूप से कर सकें।
- स्थानीय स्तर पर परामर्श केंद्रों की स्थापना की जाए, जहाँ युवाओं को व्यवसायिक सलाह, विपणन रणनीति और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी जा सके।
- योजना की निरंतर निगरानी एवं मूल्यांकन की प्रभावी प्रणाली विकसित की जाए ताकि समस्याओं की पहचान समय रहते की जा सके और सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

उपरोक्त उपायों को अपनाकर युवा स्वरोजगार योजना को अधिक प्रभावी, लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सकता है, जिससे रीवा जिले के युवाओं को वास्तविक रूप से आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त किया जा सके।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र आधुनिकीकरण की परिवर्तन प्रक्रिया एवं मानव जीवन शैली में नूतन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, शहरी क्षेत्रों/कस्बों में ही नहीं, अपितु ग्रामीण अंचलों में भी तेजी से बदलाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ऐसे में विकासात्मक के क्षण में मध्यप्रदेश युवा स्वरोजगार योजना की स्थिति बेरोजगारी को दूर करने में कैसी है इसके संदर्भ में एक संवेदनशील चिन्तन की आवश्यकता है, जो जिले के शिक्षित एवं अशिक्षित युवा पीढ़ी को स्वरोजगार करने हेतु आवश्यक रोकड़ उपलब्ध कराने और उन्हें उद्यम स्थापित करने हेतु प्रेरित करने में कहां तक सक्षम रही है, का मूल्यांकन इस शोध अध्ययन के माध्यम से करके उसे और अधिक उत्प्रेरित करने हेतु अग्रेषित करेगा। स्वरोजगार करना किसी भी क्षेत्र या राज्य की प्रगति और समृद्धि का दर्पण होता है और स्वरोजगार से क्षेत्र विशेष की बेरोजगारी में कमी आती है और उस क्षेत्र में उद्योगों का विकास तेजी से होने लगता है। किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास तभी सुदृढ़ होगा जब उस क्षेत्र में व्याप्त शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारी को दूर किया जायेगा और इसके लिए स्वरोजगार करना एक अच्छा विकल्प है।

स्वरोजगार से क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति को गति मिलती है और इससे लोगों की कार्यक्षमता बढ़ती है तथा लोगों के कार्यबल का सही उपयोग सम्भव हो पाता है। स्वरोजगार की प्रक्रिया से जुड़कर लोग अपने रहन–सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में सफल होते हैं।

रीवा जिले में युवा स्वरोजगार योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन यह दर्शाता है कि यह योजना बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। योजना के माध्यम से कई युवाओं ने स्वरोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से सशक्त होने की दिशा में प्रगति की है। हालांकि, इसके क्रियान्वयन में विभिन्न प्रशासनिक एवं संरचनात्मक बाधाएँ भी देखी गईं, जैसे– सूचना का अभाव, ऋण प्रक्रिया में विलंब, प्रशिक्षण की कमी और मार्गदर्शन का अभाव। इसके बावजूद, यह स्पष्ट है कि यदि योजना के संचालन में पारदर्शिता, जागरूकता, समयबद्धता और मार्गदर्शन को बढ़ावा दिया जाए, तो यह योजना जिले के युवाओं के लिए एक स्थायी और प्रभावी रोजगार का माध्यम बन सकती है। अतः यह आवश्यक है कि सरकारी तंत्र, वित्तीय संस्थान और सामाजिक संगठनों के सहयोग से इस योजना को और अधिक सक्षम तथा व्यावहारिक रूप में लागू किया जाए, जिससे युवा वर्ग को सशक्त बनाकर समग्र ग्रामीण विकास को गति दी जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्रा, एस.पी. – स्वरोजगार और उद्यमिता विकास, राष्ट्रीय प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, वर्ष 2018
2. शर्मा, आर.के. – भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वरोजगार की भूमिका, मध्यप्रदेश प्रकाशन, भोपाल, वर्ष 2017
3. मध्यप्रदेश शास – योजना एवं आर्थिक विभाग, युवा स्वरोजगार योजना वार्षिक रिपोर्ट, भोपाल, मध्यप्रदेश सरकार, वर्ष 2021
4. भारत सरकार – सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय, स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास, भारत सरकार रिपोर्ट, नई दिल्ली, वर्ष 2020
5. जिला उद्योग केन्द्र रीवा – रीवा जिले में स्वरोजगार योजना क्रियान्वयन, जिला उद्योग केन्द्र रिपोर्ट रीवा, वर्ष 2022
6. सिंह, राहुल – ग्रामीण युवाओं में स्वरोजगार के प्रभाव, भारतीय ग्रामीण विकास जर्नल खंड 12 अंक 3, वर्ष 2019
7. भारतीय सांख्यिकी विभाग – मध्यप्रदेश आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण, रिपोर्ट नई दिल्ली : भारत सरकार, वर्ष 2019

❖◆❖